

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त एवं
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

: लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020


महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु क्वारंटाइन किये गये व्यक्तियों एवं अन्य जरूरतमंदों को भोजन हेतु जिला प्रशासन के सहायतार्थ धार्मिक, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा जनता के बीच खाद्य सामग्री/पका भोजन का वितरण कराया जा रहा है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-242/एक-11-2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 द्वारा यह अपेक्षा कि गयी थी कि कानून एवं व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों की सूची तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाये तथा उनकी credentials (साख/छवि) की जांच करा ली जाये ताकि इनकी सेवायें जन-सहयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा लेने में कोई कठिनाई न हो।

3. जिलाधिकारीगण कृपया यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पका भोजन/खाद्य सामग्री का वितरण जिला प्रशासन की निगरानी में उनके द्वारा निर्धारित स्थलों से ही कराया जाये।

भवदीया,


(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभागा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस कमिश्नर, नोएडा/लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव